न्यायालय उप जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

पीठासीन अधिकारी: अनूप सिंह (आर0ए0एस0)

मु0नं0	ता0रजू.	निर्णय दिनांक
17/2022	20.07.2022	03/01/2023

1. रंगलाल पुत्र केसरा उम्र 63 वर्ष जाति जाट निवासी खिजुरी तहसील सवाई माधोपुर

अपीलान्टस

बनाम

1. रामलाल पुत्र केसरा जाति जाट निवासी खिजुरी तहसील व जिला सवाई माधोपुर
2. नेहरूलाल पुत्र केसरा जाति जाट निवासी खिजुरी तहसील व जिला सवाई माधोपुर
3. श्योजी पुत्र केसरा जाति जाट निवासी खिजुरी तहसील व जिला सवाई माधोपुर
4. प्रकाश पुत्र केसरा जाति जाट निवासी खिजुरी तहसील व जिला सवाई माधोपुर
5. कैलाश पुत्र केसरा जाति जाट निवासी खिजुरी तहसील व जिला सवाई माधोपुर
6. छोटू पुत्र केसरा जाति जाट निवासी खिजुरी तहसील व जिला सवाई माधोपुर
7. रसाल पुत्री केसरा जाति जाट निवासी खिजुरी तहसील व जिला सवाई माधोपुर
8. सुवा पुत्र रोडू जाति जाट निवासी खिजुरी तहसील व जिला सवाई माधोपुर
9. उदो जाति जाट निवासी खिजुरी तहसील व जिला सवाई माधोपुर
10. अनिता पत्नी कैलाश जाति जाट निवासी खिजुरी तहसील व जिला सवाई माधोपुर
11. भंवरलाल पुत्र किशना जाति जाट निवासी खिजुरी तहसील व जिला सवाई माधोपुर
12. अनोखी पत्नी दिनेश जाति लोधा निवासी जटवाडा खुर्द तहसील सवाई माधोपुर
13. ग्राम पंचायत खिजुरी जरिये सरपंच तहसील व जिला सवाई माधोपुर
14. सरकार जरिये तहसीलदार तहसील सवाई माधोपुर

रेस्पोण्डेन्ट

<u>अपील विरूद्ध बनाराजगी निर्णय दिनांक 19.03.2004 ग्राम पंचायत खिजुरी नामान्तकरण संख्या 237 राजस्व ग्राम खिजुरी तहसील स0मा0</u>

उपस्थितः–

1. श्री जगदीश प्रसाद शर्मा एड0 प्रार्थी की ओर से।
2. श्री सतेन्द्र कुमार गोयल एड0 अप्रार्थी संख्या 12 की ओर से।

Signature Not Verified
Digitally signed by Damodar Singh
Date: 2025.09.11 16:58:34 IST
Reason: SelfAttested

:– निर्णय –:

अपीलान्टस ने जरिये वकील एक अपील विरूद्ध बनाराजगी निर्णय दिनांक 19.03.2004 ग्राम पंचायत खिजुरी नामान्तकरण संख्या 237 राजस्व ग्राम खिजुरी तहसील स0मा0 पेश की जिसका विवरण इस प्रकार है कि यह कि अधिनिस्थ न्यायालय आदेश विधि एवं पत्रावली के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है । अधिनस्थ न्यायालय ने विरासत का नामान्तकरण दर्ज कराते समय अपीलान्ट को नाम सजरा में दर्ज होते हुए भी फर्जी तरीके से बिना किसी अधिकार के सुवा

[illegible] पुत्र दर्ज करने में अहम् कानूनी भूली की है। जबकि अपीलान्ट कभी भी रेस्पोंडेन्ट संख्या 2 के पौत्र नहीं रहा। अपीलान्ट को विरासत के आधार पर हकदार भूमि से वंचित करने के उद्देश्य से जानबूझ कर नाम दर्ज नहीं करने में अहम् कानूनी भूल की है। रेस्पोंडेन्ट सं० 8 ने स्वयं के हिस्से की कृषि भूमि रेस्पोंडेन्ट संख्या 10 के नाम से अपने विक्रय पत्र के आधार पर इन्द्राज करवा दिया, इसलिये रेस्पोंडेन्ट संख्या 10 को पक्षकार बना जा रहा है। रेस्पोंडेन्ट संख्या 9 ने अपने विक्रय पत्र के आधार पर रेस्पोंडेन्ट संख्या 12 को बेचान कर दिया इसलिये खातासंख्या 334 में सहखातेदार के नाम का इन्द्राज होने के कारण पक्षकार बनाया जा रहा है। अपीलान्ट की माँ तुलसा की मृत्यु होने पर विरासत नामान्तरकरण संख्या 334 दिनांक 7.7.15 में अपीलान्ट का नाम भी दर्ज है। जमाबन्दी सम्वत् 2072 से सम्वत् 2075 की जमाबन्दी विरासत के समर्थन हेतु पेश है। अधिनस्थ न्यायालय आदेश प्राकृतिक न्याय के मूलभूत सिद्धान्तों से विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलान्ट को जमाबन्दी की नकल लेने से विवादग्रस्त नामान्तरकरण की जानकारी पटवारी हल्का से होने के कारण अपील अन्दर म्याद पेश है। अधिनस्थ न्यायालय ने किस दिनांक को विरासत का नामान्तरकरण स्वीकृत किया जाना स्पष्ट नहीं है। अधिनस्थ न्यायालय आदेश इल्लीगल, इम्प्रोपर व इनकरेक्ट होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अपील की सुनवाई का क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त है। अपील जानकारी दिनांक से अन्दर म्याद एवं निर्धारित न्याय शुल्क पर्याप्त है। रेस्पोंडेन्ट संख्या 8, 9, 10, 11 [illegible] खाता संख्या 234 के सहखातेदार होने के कारण पक्षकार बनाया जा रहा है। रेस्पोंडेन्ट संख्या 13 लैण्ड होल्डर बनाया गया है। अन्य उदात्त वरवक्त बहस जुबानी बाद निवेदन करावना अर्ज किये जावेगें। अतः श्रीमान् जी की सेवामें अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत खिपुरी द्वारा स्वीकृत विरासत के नामान्तरकरण संख्या 237 को अपीलान्ट का नाम दर्ज करने की हद तक स्वीकार फरमाया जावे। आपकी कृपा होगी।

अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर [illegible] तलबी की गयी। प्रकरण में रेस्पो० संख्या 12 [illegible] की बावजूद तामिल होने पर उपस्थित नहीं [illegible] विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी।

प्रकरण में वकील अपीलांट की एक पक्षीय बहस सुनी। वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया है कि दिनांक 19.03.2004 ग्राम पंचायत खिपुरी नामान्तरकरण संख्या 237 राजस्व ग्राम खिपुरी को अधिनस्थ न्यायालय ने विरासत का नामान्तरकरण दर्ज करते समय अपीलांट का नाम सम्वत में दर्ज होते हुए भी

Signature Not Verified
Digitally signed by Damodar Singh
Date: 2025.09.11 16:58:34 IST
Reason: SelfAttested

फर्जी तरीके से बिना किसी अधिकार के सुवा का गोद पुत्र दर्ज करने में अहम् कानूनी भूली की है। जबकि अपीलान्ट कभी भी रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के गोद नहीं गया। अपीलान्ट को विरासत के आधार पर पैत्रक भूमि से महरूम करने के उद्देश्य से जानबूझ कर नाम दर्ज नही करने में अहम् कानूनी भूल की है। अपीलान्ट की माँ तुलसा की मृत्यु होने पर विरासत के नामान्तकरण संख्या 884 दिनांक 7.7.15 में अपीलान्ट का नाम भी दर्ज है। अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत खिजुरी द्वारा स्वीकृत विरासत के नामान्तकरण संख्या 237 को अपीलान्ट का नाम दर्ज करने की हद तक स्वीकार फरमाया जावें।

पत्रावली में वकील अपीलांट की बहस का मनन किया तथा उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। प्रकरण में राजस्व ग्राम खिजुरी के नामान्तकरण संख्या 237 दिनांक 19.03.2004 को अवलोकन किया। उक्त नामान्तकरण केसरा के फोत होने पर उनके वारिसान के नाम नामान्तकरण तस्दीक किया गया है। उक्त विरासत का नामान्तकरण में अपीलान्ट का नाम सजरा में दर्ज है जो सही है। अपीलांट के नाम नीचे सुवा पुत्र रोडू के गोद गया जाने का नोट अंकित किया गया है। यदि अपीलांट किसी के गोद ही नही गया है तो उसको पैतृक सम्पत्ति में अपने हको से वंचित रखना गलत है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

:– कियात्मक आदेश –:

उक्त विवेचन एवं तथ्यो के आधार पर अपीलांट की अपील स्वीकार की जाती है। ग्राम पंचायत खिजुरी के नामान्तकरण संख्या 237 दिनांक 19.03.2004 को खारिज किया जाकर तहसीलदार सवाई माधोपुर को प्रकरण रिमाण्ड किया जाकर आदेशित किया जाता है कि नामान्तकरण संख्या 237 में दर्ज आराजी खातेदार मृतक केसरा पुत्र रोडू जाति जाट की विरासत की जांच पुनः की जाकर पुनः नामान्तकरण दर्ज किया जावे। आदेश की पालना हेतु निर्णय की प्रति तहसीलदार सवाई माधोपुर को भेजी जावे। निर्णय आज दिनांक 09/01/2025 को टंकित करवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर ... की जाकर दफ्तर दाखिला हों।

Signature Not Verified

Digitally signed by Damodar Singh
Date: 2025.09.11 16:58:34 IST
Reason: SelfAttested

(... नूप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी / उप जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर